न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 05/ 16 (2017/00052) वर्ष 2016

बउनवानीः—

मोतीलाल पुत्र रामनारायण रैगर निवासी मित्रपुरा तहसील बौंली जिला स0मा0

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मित्रपुरा तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर
2. मुरारी पुत्र कालू जाति माली, निवासी मित्रपुरा तहसील बौंली जिला स0मा0
3. लल्लू पुत्र कालू जाति माली निवासी मित्रपुरा, तहसील बौंली जिला स0मा0
4. राजेश पुत्र कालू जाति माली निवासी मित्रपुरा, तहसील बौंली जिला स0मा0

(निगरानी आदेश दिनांक 23.9.1999 सरपंच ग्राम पंचायत मित्रपुरा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री राजकुमार कुर्मी वकील निगरानीकार

2. श्री भगवानदास माली वकील अप्रार्थी संख्या—1

3. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अप्रार्थी संख्या 2—4

—: निर्णय :— दिनांक 26.6.2019

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ,ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा दिनांक 23.9.1999 को जारी पटटा संख्या 27 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त दिनांक 23.9.1999 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील प्रार्थी ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.9.1999 को पटटा संख्या 27 तथ्य एवं विधि के विपरीत जाकर जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि मृतक कालू पुत्र धूल्या माली के हक मे पटटा जारी किया है। कालू फोत हो चुका है उसके वारिस रेस्पो. संख्या 2 लगायत 4 है जो कानून उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह तर्क भी दिया कि विवादित स्थल पर अपीलान्ट के कब्जे शुदा भूभाग पर रेस्पो. संख्या 1 द्वारा मृतक कालू के पटटे के आधार पर कब्जा करने पर आमादा होने के कारण निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ है। अदालत मातहत ने मौके पर विधिवत रेस्पो. संख्या 2—4 के पिता को रेस्पो. संख्या 1 ने कोई कब्जा नही दिया गया है। दिनांक 10.3.2016 को पटटा लेकर मौके पर आकर अपीलान्ट से कहॉ कि यह भूमि मेरी है तुम यह जगह खाली करो तो प्रार्थी ने कहॉ कि यहा हम बरसों से रह रहे है ऐसे कैसे यह जगह खाली कर देगें। तो अपीलान्ट ने जाकर पंचायत मित्रपुरा मे तलाश किया तो वहॉ पर कोई रिकार्ड नही मिला न ही पंचायत द्वारा कोरम ने दिया गया प्रस्ताव निर्णय कोई राजस्व रिकार्ड भी नही मिला। इसके पश्चात प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली से मिला तब जाकर बडी मुश्किल से दिनांक 14.3.2016 को सांयकाल 5 बजे पटटे की प्रति प्रार्थी को प्राप्त होने पर अपने वकील से सलाह कर यह निगरानी जानकारी प्राप्त होने से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार आदेश, जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि अनुरूप है जिसमे किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता कालू द्वारा दिनांक 27.2.1999 को ग्राम पंचायत मित्रपुरा में नई आबादी में बाडा बना हुआ है जिसका पटटा जारी किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.2.1999 को नोटिस जारी कर पटटे से संबंधित स्थान के संबंध मे आपत्ति मांगी गयी। प्रस्तावित स्थान का विधिवत पंचो से मौका दिखवाया जाकर मौका पर्चा व नक्शा मंगवाया जाकर विधिवत 5/–रू प्रति वर्गगज के हिसाब से कुल 760/–रू पंचायत मे जमा करके पटटा संख्या 27 दिनांक 27.9.1999 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पटटा सभी कानूनी प्रकिया पूर्ण करके जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटे से संबंधित भूमि को लेकर प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश क.ख. बौंली के न्यायालय मे पेश किया गया है। वाद पत्र वर्तमान में जैरकार है किन्तु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रार्थी विवादित स्थान पर अपना कब्जा एवं स्वामित्व साबित करने में असफल रहने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे जारी पटटा सभी कानूनी प्रकिया पूर्ण कर जारी करना अपनी बहस में बताया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों की और से दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा दिनांक 23.9.1999 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता कालू के पक्ष में जारी किया गया पटटा संख्या 27 को जारी करने से पूर्व सभी विधिक प्रकिया अपनायी गयी है। वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड पर उसका कब्जा है किन्तु कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये उक्त कथन की पृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय क.ख. बौली के न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना में अपना कब्जा एवं स्वामित्व साबित नही करने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार है जिसमे पक्षकारान के स्वामित्व तय होना है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:26:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: